

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

बन्नाराम वगै० बनाम

ग्राम पंचायत नाथा की नांगल

किस्म मुकदमा अपील विरुद्ध नामान्तरकरण

मु०नं० 10 सन् 2025

जीसीएमएस नं. 2025/413

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुएशीख  
म

22-05-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 197 ग्राम पंचायत नाथा की नांगल दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।

26/05/2025


पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट्स की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28.04.2025 बाबत नामान्तरकरण संख्या 197<sup>ग्राम इगखस</sup> ग्राम पंचायत नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अपीलान्ट्स द्वारा जमाबन्दी में अंकित वादग्रस्त आराजी में से भूमि ख०नं० 1188/397, 399 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4120 है० में से 7/15 हिस्से का एक रजिस्टर्ड उपहार पत्र उपहारग्रहिता मूलचन्द सैनी पुत्र जयराम सैनी के पक्ष में दर्ज करवाया था परन्तु उक्त उपहार पत्र का नामान्तरकरण दर्ज करते समय जमाबन्दी की सम्पूर्ण भूमियों में सहवन से उपहारग्रहिता के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो गया जिस कारण विधि विरुद्ध विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

ग्राम इगखस

अतः नामान्तरकरण संख्या 197<sup>ग्राम इगखस</sup> ग्राम नाथा की नांगल दिनांक 28.04.2025 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर सभी पक्षकारों को सुनते हुए

नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना